# न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बेगूसराय

(पीठासीन पदाधिकारी– श्री बिजेन्द्र कुमार)

**भरण पोषण वाद संख्या– 199/2025**
जूली कुमारी बनाम् रोबिंस कुमार

**आदेश दिनांक– 12.08.2026**

**1.** अभिलेख प्रस्तुत किया गया। वाद में बार–बार पुकार कराये जाने पर भी वादी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए हैं।

**2.** अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रस्तुत वाद आवेदिका जूली कुमारी के द्वारा बी0एन0एस0एस की धारा 144 के अन्तर्गत भरण–पोषण हेतु विपक्षी रोबिंस कुमार के विरूद्ध दिनांक 27.09.2025 को दायर किया गया है और इसे आज उत्तरवादी की उपस्थिति के लिए रखा गया था। आवेदिका को आदेश दिनांक–03.11.2025 के द्वारा निर्देश दिया गया था कि वह उत्तरवादी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए नजारत के माध्यम से सम्मन जारी करने हेतु अपेक्षिताएं दाखिल करे, लेकिन आवेदिका के द्वारा कोई आपेक्षिताएं दाखिल नहीं किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि आवेदिका दिनांक 10.04.2026 से लगातार अनुपस्थित है। आज दिनांक 12.08.2026 को भी आवेदिका अथवा उसके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं है और न ही आवेदिका के द्वारा कोई स्थगन आवेदन या हाजिरी/पैरवी दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदिका को इस वाद में कोई अभिरूचि एवं आवश्यकता नहीं रह गयी है। ऐसी स्थिति में इस वाद को आगे लम्बित रखे जाने का कोई उचित व न्यायसंगत आधार/परिस्थिति न्यायालय के समक्ष नहीं है, जिस कारण इस वाद को खारिज करना ही विकल्प है। मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह वाद, आवेदिका के द्वारा दिनांक–03.11.2025 के आदेश का अनुपालन न करने एवं आवेदिका की अनुपस्थिति के कारण **खारिज** किया जाता है। कार्यालय लिपिक आवश्यक कार्रवाई के पश्चात् नियमानुसार अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित
ह0/–
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, बेगूसराय।
12.08.2026